राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0, जयपुर।

क्रमांक : ए.4( )लेखा/2019-20/ दिनाक :

समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवायें (जोन)
समस्त मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी।
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सेटेलाईट हॉस्पीटल/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय।
विभागाध्यक्ष, डिप्लोमा कोर्स इन फार्मेसी, जयपुर।
समस्त जिला क्षय रोग अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी प्रभारी क्षय निवारण केन्द्र/के. एन टी.बी.सी अजमेर।
संयुक्त निदेशक एव आहरण एव वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
राजकीय विश्लेषक, जयपुर,।
मुख्य खाद्य विश्लेषक,जयपुर।

विषयः—राज्य निधि एव राज्य निधि (प्रतिबद्ध) के 19—विद्युत एव जल व्यय के उपमद मे बकाया दायित्वो की सूचना भिजवाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गतलेख है कि राज्य निधि एव राज्य निधि (प्रतिबद्ध) के उपमद 19—विद्युत एव जल व्यय व्यय मे बकाया दायित्वो की सूचना में अधोहस्ताक्षाकर्ता को 30.04.2019 तक आवश्यक रूप से famh-rj@nic.inपर Soft copy excel format पर प्रेषित करावे तथा बकाया दायित्वों के प्रमाण स्वरूप बकाया बिलो की प्रति सलग्न कर भिजावाया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा आपके उपमद 19—विद्युत एव जल व्यय में कोई बकाया दायित्व नहीं मानते हुऐ आपको वित्तीय वर्ष 2019—20 मे 19 -विद्युत एव जल व्यय किसी भी प्रकार का अतिरिक्त बजट नही किया जायेगा।

प्रारूप—

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष (माह वार)	आईएफएमएस पर सबधित बजट मद मे उपलब्ध राशि	बकाया राशि	विशेष विवरण
1.				

कृपया प्राथमिकता प्रदान करे।

SD
उप वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

कमांक :— ए—4 ( ) लेखा/ राज्य निधि /2019-20 93 दिनांक . 25-04-2019

प्रतिलिपिः—प्रभारी सर्वर, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त बजट आवंटन को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावे।

उप—वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर